(60)

कोर्ट फी 20 रु. COURT FEE INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

CF 20/-

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3202

नन्नू तनय हल्का नाई उम्र 75 वर्ष, निवासी ग्राम दरगॉय कलॉ तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

......निगरानीकर्ता

बनाम

1. लक्ष्मन तनय मसलती अहिरवार आयु   वर्ष
2. नंदराम तनय मसलती अहिरवार आयु   वर्ष

समस्त निवासियान ग्राम दरगॉय कलॉ तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ म.प्र.

.......प्रतिनिगराकारगण

प्रतिकूल आदेश अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मोहनगढ के प्रकरण क्रमांक 61/ए-12/2011-12 आदेश दिनांक 11.9.2012 से व्यथित होकर :-

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

B.O.R
13.7 JUL 2017

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्न प्रकार विनयी है :-

(1) यह कि निगरानीकर्ता की स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम दरगॉय कलॉ में स्थित है तथा निगरानीकर्ता के बाप दादाओ के जमाने से अपनी कृषि भूमि पर काबिज रहकर खेती करता चला आ रहा है तथा निगरानीकर्ता भी करीब 50 वर्ष से खेती कर कब्जा किए हुये है तथा कथित कृषि भूमि को अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया है ।

(2) यहकि प्रतिनिगराकारगणो ने भूमि खसरा क्र. 20/1 रकबा 1.558 है.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक / निगरानी / टीकमगढ़ / भू.रा. / 2017 / 3202

नन्नू विरूद्ध लक्ष्मन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार मोहनगढ़, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 61 / ए—12 / 2011—12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 11—09—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11—09—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	